प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 5440–4जी एस–1–72–/27403 दिनांक 15/18–9–82 की प्रति ।

विषय:— स्थानान्तरण सम्बन्धि पालिसी में तबदीली ।

———

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 3245 जी.एस. 1–72/12827, दिनांक 12 जून, 1972 के पैरा 2 की ओर दिलाऊं और सूचित करूं कि इस पत्र द्वारा जारी की गई हिदायतों में सरकार ने यह संशोधन करने का निर्णय किया है कि किसी कर्मचारी के एक स्टेशन पर ही उसी आफिस में एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर स्थानांतरण करने के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । अतः इस प्रकार के स्थानान्तरण वही अधिकारी कर सकेगें जो कि पहले सक्षम थे ।

हस्ता/—
उप सचिव, राजनैतिक तथा सेवाएं
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

इसकी एक प्रति सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।